From:-

Vineeta Singh
Secretary,D.L.S.A
Basti.

To:-

The Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Through:-

The District Judge
Basti.

<u>Subject: Regarding Annual confidential Remark for the Assessment Year 2020-2021.</u>

Respected Sir,

With reference to Annual Confidential Remarks dated 15-06-2021 communicated/seen by me on 03-07-2021, I beg to make following representation:-

<u>Column: 01(b):-</u> If he is fair and impartial in dealing with the public and bar?

"The Bar is highly disappointed with the officer, several complaints have been received by bar regarding the non cordial behaviour of the officer.

It appears that the complaints were "received by Bar" No such complaints were ever brought to my notice.

Hence, this remark may kindly be expunged.

<u>Column: 1(c):-</u> If he is cool minded and does not lose temper in court.

"The Officer is not cool minded and often use filthy language and lose temper in court."

It is humbly submitted that no such incident was brought to my notice in which I used filthy language, lost temper in court or was not cool minded.

Hence, this remark may kindly be expunged.

<u>Column: 01(e)(i)(a):-</u> Proper fixation of cause list.

"Not Proper".

Column: 01(e)(i)(b):- Whether sufficient number of cases are fixed by him to keep him engaged during full court hours?

"No, the concerned officer does not fixed sufficient number of cases to keep him engaged during full court hours".

Column: 01(e)(ii):- Avoidance of unnecessary adjournments.

"The officer has not avoided unnecessary adjournments".

I beg to submit that in the Annual Inspection Note dated 06-03-2021, the learned District Judge did not make any such observations regarding proper fixation of cause list. Copy of the Inspection Note is annexed herewith. (Annexure-1)

On the contrary, the learned District Judge has appreciated on page 6 of the Annual Inspection Note (Annexure-1) that on each working day P.O. has fixed sufficient work and tried to dispose off. No unnecessary adjournments were granted.

Hence, this remark may kindly be expunged.

Column: 1(f):- Whether Judgments on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed in good language?

"Very poor language is used in Judgments. The Judgments attached in Self Assessment are very short, inexpressive and precise".

Column: 01(f)(i):- Marshalling of facts.

"Very Poor"

Column: 01(f)(ii):- Appreciation of evidences.

"Very Poor".

Column: 01 (f)(iii):- Application of Law.

"Very Poor".

It is unfortunate that the learned District Judge has made subjective remarks on my judgments. It was proper for the learned District Judge to have guided me on the art of writing judgments.

It is not out of place to mention here that in my previous year's Annual Confidential Remark, my judgments were found upto the mark and no occasion came in which I could get any guidance from my superior officers regarding deficiency in judgments.

Hence, this remark may kindly be expunged.

Column: 01(h):- Control over the Office and Administrative capacity and tact:

"The Officer lacks total control over the office and she doesn't owes administrative capacity".

In Annual Inspection note (Annexure-1), the learned District Judge has not pointed out my lack of control over the office. I could not make out anything out of remarks "she does not owes administrative capacity".

Hence, this remark may kindly be expunged.

Column: 01 (i):- Relation with members of the Bar (mention incidents, if any):

"Not cordial with Bar. Several complaints were reported by the lawyers where case files were found missing neither files were available in the office nor in the court. The Bar is highly annoyed and unhappy due to the non responding behaviour of the officer".

I could lay my hands on only one order dated 10-03-2021, communicated to me on 06-04-2021 by which an order "Call for report from P.O. concerned within 3 days" on the application of Sri Ram Murti Devi. [Copy of letter dated 09-04-2021 annexed herewith. (Annexure-2)]. Several complaints were never brought to my notice.

Hence, this remark may kindly be expunged.

Column: 01(j):- Behaviour in relation to brother Officers (mention incidents, if any):

"The officer has behavioural problems, behaviour with the seniors is discourteous and with brother officers argumentative. Never participate in meetings and other events".

I beg to submit that no complaint from brother officer nor any incident were ever mentioned to me. No incident was brought to my notice in which I had not attended meetings.

Hence, this remark may kindly be expunged.

Column: 01(l):- His punctuality and regularity in sitting on the dais in court during court hours?

"The officer is not punctual, often heard of irregularity in sitting on the dais in court during court hours".

It is relevant to mention here that on the relevant dates (04-01-2021, 05-01-2021, 06-01-2021) the judicial hearing on dias had collapsed and I had moved to chamber

for writing orders (as no Stenographer was provided to me) and remained present throughout. Copy of letters dated 08-01-2021 is attached here with. [Annexure-3 (i),3(ii)]

Hence, this remark may kindly be expunged.

Column: 01(m):- Whether amenable to the advice of the District Judge and other superior officers?

"Not at all amenable to the advice of the District Judge and other superior officers. Several D.O. letters have been given to the officer but unfortunately the officer has not even responded to those letters".

I was never fortunate enough to receive any advice from the learned District Judge nor any letter was received in this regard.

It is also pertinent to bring into kind notice of the Hon'ble Court that I had always seeked support and cooperation from the learned District Judge but unfortunately no support was provided to me.

Hence, this remark may kindly be expunged.

2. "Overall assessment of the merit of the officer (Outstanding, Very Good, Good, Average, Poor)

"Poor"

It appears that the Hon'ble the Adminstrative Judge has disagreed with the Overall assessment made by the learned District Judge to be "Poor" and rated me" Average".

Hence, this remark may kindly be expunged.

3. State of Health, with remarks, if any?

"Not Sound, some psychological problems were perceived by me".

It appears that the learned District Judge has made remarks on state of my health without any facts. It is to submit that I have worked for the entire Assessment year.

Hence, this remark may kindly be expunged.

4. Other remarks, if any

"The officer lacks quality of a prudent judicial officer and advised to change her irresponsible, confronting and adamant behaviour for future".

The remarks are vague & indefinite. No such instance was brought to my notice in which I was found. "lacking qualities of a prudent judicial officer, irresponsible, confronting and adamant behaviour"

It may not be out of place to mention here that the Annual Confidential Remarks given by the learned District Judge were placed before the Hon'ble Administrative Judge, who differing with the Overall assessment of the learned District Judge marked me an "Average" officer.

You are, therefore, kindly requested to place my representation before the Hon'ble Court for expunging adverse remarks in the columns 01(b), Column 01(c), Column 01(e)(i)(a), Column 01(e)(i)(b), Column 01(e)(ii), Column 01(f), Column 01(f)(i), Column 01(f)(ii), Column 01(f)(iii), Column 01(h), Column 01(i), Column 01(j), Column 01(l), Column 01(m), 02, 03, 04 and suitably upgrading the Overall Assessment.

With regards.

Dated:28-07-2021

Enclosures: [PAGES-16.]

1. Copy of Self-Assessment for the year 2020-2021.
2. Copy of the Annual Inspection Note (Annexure-1).
3. Copy of letter dated 09-04-2021 (Annexure-2).
4. Copy of letters dated 08-01-2021 [Annexure-3(i),3(ii)].

Your's faithfully,
Vineeta Singh 28/07/2021
(Vineeta Singh)
Secretary,D.L.S.A
Basti
ID.No. UP-2309

Case ID : 3745

SELF ASSESSMENT APPLICATION

3 MONTHS COMPLETION

Employee No.:-2309

Whether 3 Months are complete for remarks of DISTRICT JUDGE? Yes

SELF ASSESSMENT FORM PART I

1.	Self Assessment Period	01/04/2020 - 31/03/2021	
2.	Name of the Officer	SUSHRI VINEETA SINGH	
3.	Designation	Civil Judge (Junior Div.)	
4.	Date of Joining Service / Length of Service	06/07/2017 (3 Years 9 Months and 2 Days)	
5.	Place of Posting	Firozabad **Posting Details During Self Assessment Period** Not Available	
6.	Any other charge held during the financial year	NIL	
7.	Year wise break up of cases	Proforma Attached	Attachment Available
8.	Courts held during the financial year	Civil Judge (Junior Div.) Shikohabad Firozabad	
9.	In how many cases have you framed the issues	132	
10.	In how many cases have you framed the charge	NA	
11.	Number of cases in which Judgment not delivered within 15 days of conclusions of argument	Nil	
12.	Percentage of appeals remanded by the officer	NA	
13.	Inspections	Proforma Attached	Attachment Available
14.	Remarks if any	Nil	
15.	Details of the works by the officer	1. Actual working days =184 days, 2. Total Units = 1563.93 Units Court Work affected due to COVID 19(Proforma Attached)	Attachment Available
16.	Performance in Lok Adalat	10 Cases	

SELF ASSESSMENT FORM PART II

1. **Brief description of duties** — Working as Civil Judge (Junior Div.) Shikohabad Firozabad

2. **Norms set and achieved in respect of disposal of cases.**

Target	Achievements
1200 Units	1563.93 Units

2A. **Steps taken to dispose of old matters which are more than 5 years old.**

Target	Achievements
I have taken best effort for early disposal of cases by fixing short dates and discouraging unnecessary adjournments.	23 Cases Court Work affected due to COVID 19

2A(i). **Pendency of such matters at the commencement of the year.**

Target	Achievements
1121 Cases	23 Cases Court Work affected due to COVID 19

2A(ii). **Number of such matters disposed of during the year.**

Target	Achievements
23 Cases Court Work affected due to COVID 19	23 Cases Court Work affected due to COVID 19

2B. **Steps taken to dispose of old matters which are more than 10 years old.**

Target	Achievements
I have taken best effort for early disposal of cases by fixing short dates and discouraging unnecessary adjournments	04 Cases Court Work affected due to COVID 19

2B(i). Pendency of such matters at the commencement of the year.

Target	Achievements
551 Cases	04 Cases Court Work affected due to COVID 19

2B(ii). Number of such matters disposed of during the year.

Target	Achievements
04 Cases Court Work affected due to COVID 19	04 Cases Court Work affected due to COVID 19

2C. Steps taken to dispose of cases of persons with more than 65 years of age.

Target	Achievements
I have taken best effort for early disposal of cases by fixing short dates and discouraging unnecessary adjournments	14 Cases Court Work affected due to COVID 19

2C(i). Pendency of such matters at the commencement of the year.

Target	Achievements
41 Cases	14 Cases Court Work affected due to COVID 19

2C(ii). Number of such matters disposed of during the year.

Target	Achievements
	14 Cases Court Work affected due to COVID 19

3. Please state briefly the shortfalls with reference to the targets / objectives referred to at S. No. 02 above. Please specify constraints, if any, in achieving the targets.

Target	Achievements
Nil	Nil

4. Academic and professional achievements during the year, including degree(s) obtained and/or books/articles published.

Target	Achievements
Nil	Nil

5. Whether attended any workshop, course, programme, etc., organized by Judicial Academy and/or any other organization during the period in question? If so, give details.

Target	Achievements
Nil	Nil

6. Whether visited Judicial Academy as Faculty Member. If so, give details about the nature of lecture(s) given/topic(s) discussed.

Target	Achievements
Nil	Nil

Judgment Attachments

Judgment Attachment	Uploading Date
OS No. 184 of 2012, Abhilakh Singh Vs. Tejpal Singh	09/04/2021
OS No. 134 of 2012, Chameli Devi Vs. Abhilakh Singh	09/04/2021
OS No. 127 of 2012, Tejpal singh Vs. Abhilakh Singh	09/04/2021

Date	Applying Date
	08/04/2021

01-Remarks given by the District Judge regarding:

01 (a). Integrity of the Officer- whether beyond doubt, doubtful or positively lacking — Beyond doubt

Note- If the officer's integrity is doubtful or positively lacking, it may be so stated with all relevant fact, reason(s) & supporting material.

01 (b). If he is fair and impartial in dealing with the public and Bar? — The Bar is highly dissappointed with the officer, several complaints have been received by bar regarding the non cordial behaviour of the officer.

01 (c).	If he is cool minded and does not lose temper in court.	The Officer is not cool minded and often use filthy language and lose temper in court.
01 (d).	His private character is such as to lower him in the estimation of the public and adversely affects the discharge of his official duties?	Private character of the officer is not such as to lower him in the estimation of the public and adversely affects the discharge of his official duties.
1 (e).	CONTROL OVER THE FILES IN THE MATTER OF:	
01 (e)(i)(a).	Proper fixation of cause list:	Not Proper
01 (e)(i)(b).	Whether sufficient number of cases are fixed by him to keep him engaged during full court full court hours?	No , the concerned officer does not fix sufficient number of cases to keep him engaged during full court full court hours.
01 (e)(ii).	Avoidance of unnecessary adjournments:	The officer has not avoided unnecessary adjournments.
01 (e)(iii).	Disposal of old cases(Give number and year of old cases decided):	Old cases decided by the officer: 1: Original Suit : 24 cases out of them 01 case of 2004 , 01 case of 2008 , 01 case of 2009 ,02 cases of 2011 , 06 cases of 2012 ,03 cases of 2014 , 10 cases of 2015
01 (e)(iv).	Progress and disposal of execution cases:	One execution case has been decided.
01 (e)(v).	Whether interim order, injunction being granted, refused or retained for sufficient reasons?	Yes
01 (e)(vi).	Are cases remanded on substantial grounds?	No case is shown to have been remanded by the officer
01 (e)(vii).	Performance with regard to decision of Motor Accident Claims related to death / injury	Nil
01 (f).	Whether Judgment on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed in good language?:	Very poor language is used in Judgments.The judgments attached in self assessment are very short , inexpressive and precise.
	Note:- The following factors should also be indicated in filling up this column:	
01 (f)(i).	Marshalling of facts;	Very Poor
01 (f)(ii).	Appreciation of evidences;	Very Poor
01 (f)(iii).	Application of law.	Very Poor
01 (g).	Whether disposal of work is adequate.(Give percentage and reasons for short disposal, if any)	Adequate , 1563.93 units
	Note:- The following factors should also be indicated in filling up this column:	
01 (g)(i).	Number of cases decided after actual full contest;	08 full contested cases have been decided by the officer
01 (g)(ii).	Number of cases decided wherein all witnesses of fact turned hostile and the case ended in acquittal.	Nil.
01 (g)(iii).	Number of civil cases decided on compromises / alternate dispute resolution.	Nil.
01 (g)(iv).	Number of cases wherein after conclusion of arguments and reserving them for judgment, rehearing was ordered.	Nil.
01 (h).	Control over the Office and Administrative capacity and tact:	The officer lacks total control over the office and she doesn't owes administrative capacity
01 (i).	Relations with members of the Bar(mention incidents, if any):	Not cordial with Bar. Several complaints were reported by the lawyers where case files were found missing neither files were available in the office nor in the court. The Bar is highly annoyed and unhappy due to the non responding behaviour of the officer.
01 (j).	Behavior in relation to brother Officers(mention incidents, if any):	The officer has behavioral problems., behavior with the seniors is discourteous and with brother officers argumentative. Never participate in meetings and other events.

01 (k).	Whether the officer has made regular inspections of his court and offices in his charge and whether such inspections were full and effective?	The officer has made regular inspections of his court and the offices in his charge and inspections are full and effective.
01 (l).	His punctuality and regularity in sitting on the dais in court during court hours?	The officer is not punctual , often heard of irregularity in sitting on the dais in court during court hours.
01 (m).	Whether amenable to the advice of the District Judge and other superior officers?	Not at all amenable to the advice of the District Judge and other superior officers . Several D.O letters have been given to the officer but unfortunately the officer has not even responded to those letters.
01 (n).	Behaviour towards women(respect and sensitivity exhibited towards them)	Decent
2.	Over all assessment of the merit of the officer(Outstanding, Very Good, Good, Average, Poor)	Poor
3.	State of Health, with remarks, if any?	**Not Sound , some psychological problems were perceived by me.**
4.	Other remarks, if any:	**The officer lacks quality of a prudent Judicial officer and advised to change her irresponsible , confronting and adamant behaviour for future.**
5.	Name of the District Judge:	Sanjeev Faizdar (6520) 15.06.2021

Overall assessment

Ved Prakash Vaish(HON'BLE JUDGE)	I agree with the recommendations made by learned District Judge.
Overall assessment	Average
Integrity	

प्रेषक,

सिविल जज (जू0डि0),
शिकोहाबाद, फ़िरोजाबाद।

ANNEXURE-1

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
फ़िरोजाबाद।

महोदय,

आपके द्वारा किये गये वार्षिक निरीक्षण दिनांकित 06–03–2021 में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है:–

क0 सं0	पेज सं0	पैरा सं0	अनुपालन हेतु दिये गये निर्देश	किसके द्वारा अनुपालन किया गया
1	1	2	सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण अनुपालन आख्या समय से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	लिपिक
2	1	3	पत्रावली व पंजिकाओं के रख–रखाव एवं आदेशों के अनुपालन को विशेष रूप से देखने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	पीठासीन अधिकारी
3	2	5	माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0–031 दिनांक 07–03–1952 के अनुसार कॉज लिस्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	पेशकार
4	3	1	पुराने वादों का निस्तारण विशेष रूचि लेकर शीघ्र निस्तारण करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	पीठासीन अधिकारी
5	4	1	दैनिक पंजिका के सभी स्तम्भों में प्रविष्टियाँ अंकित किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	पीठासीन अधिकारी
6	4	2	दैनिक डायरी के सभी अंकनायें स्तम्भानुसार अंकित करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश	पेशकार
7	4	3	दैनिक पंजिका में चढ़ने वाले वादों को पीठासीन अधिकारी की पंजिका में प्रविष्टियाँ कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	पेशकार
8	6	2	पीठासीन की डायरी में पुराने वादों को सबसे ऊपरी भाग में मध्यवर्ती वाद मध्य में एवं नये वाद डायरी के अन्त में प्रविष्टि करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	पीठासीन अधिकारी
9	8	5	निष्पादन वादों की पत्रावलियों में आदेश हस्तलेख में किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	पीठासीन अधिकारी

10	9	2	अपीलीय न्यायालयों में भेजी गयी पत्रावलियों का सत्यापन नियमित रूप से कराने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	वाद लिपिक, प्रकीर्ण एवं इजारय लिपिक
11	9	4	सभी विवरण पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रेषित किये के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	मुंसरिम
12	10	1	किसी भी पत्रावली का अनाधिकृत रूप से निरीक्षण न कराने व बिना प्रार्थना पत्र के कोई भी सूचना उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	मुंसरिम, पेशकार एवं लिपिकगण
13	10	5	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रश्नोत्तरी अनुरूप अर्द्ध वार्षिक निरीक्षण माह दिसम्बर, 2019 सम्पादित करके निरीक्षण आख्या पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	मुंसरिम
14	11	1 2 3	पत्रावलियों के समस्त कागजात नत्थीकृत एवं प्रदत्त न्याय शुल्क की टिकटों की रद्द व चेक करने व उनके मूल्य को लाल स्याही से अंकित करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	मुंसरिम, पेशकार एवं लिपिकगण
15	12	1	स्याह रजिस्टर प्रारूप सं0 103 में षटमासिक, वार्षिक योग लगाये जाने एवं पीठासीन अधिकारी समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	मुंसरिम
16	13	1	पंजिका प्रारूप सं0 3 मूलवाद की प्रविष्टियाँ स्तम्भानुसार भरने तथा वाद में संलग्न नक्शा नजरी बनाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	वाद लिपिक
17	13	2	पंजिका प्रारूप सं0 67 मूलवाद में सभी प्रविष्टियाँ स्तम्भानुसार भरने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	लिपिक
18	13	3	पंजिका प्रारूप सं0 74 में प्रविष्टियाँ स्तम्भानुसार भरने एवं प्रत्येक माह पंजिका को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	प्रकीर्ण लिपिक
19	13	4	पंजिका प्रारूप सं0 68 की स्तम्भानुसार अंकित करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश	निष्पादन लिपिक

20	14	1	बयान पंजिका में साप्ताहिक योग पूर्ण करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	पेशकार
21	14	2	गैर प्रकीर्ण वादों की पंजिका प्रारूप सं0 70 में प्रविष्टियाँ स्तम्भानुसार भरने एवं पंजिका में हैडिंग चस्पा करने के सम्बन्ध दिये गये निर्देश।	प्रकीर्ण लिपिक
22	14	3	पत्रावलियों की फीडिंग एवं अग्रिम नियत तिथियाँ फीड करने में विशेष ध्यान करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	मुंसरिम, पेशकार, लिपिकगण
23	14	अंतिम पैरा	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्बन्धित सुरक्षा पंजिका एवं शासनादेश से सम्बन्धित पंजिका को अनुरक्षित करने व सूची तैयार कर कम बद्ध करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	मुंसरिम

नोटः–

1– इस न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में सुश्री विनीता सिंह दिनांक 29–01–2019 से कार्यरत है।

2– इस न्यायालय का पूर्व वार्षिक निरीक्षण दिनांकित 02.03.2020 की अनुपालन आख्या कोविड–19 के कारण दिनांक 24–06–2020 को प्रेषित की गयी थी।

3– सम्बन्धित कर्मचारीगण के द्वारा वार्षिक निरीक्षण दिनांक 06.03.2021 की अनुपालन आख्या विलम्ब से पूर्ण किये जाने के कारण अब प्रेषित की जा रही है।

अनुपालन आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

Vineeta Singh 05/04/2021

दिनांकः 05–04–2021

(विनीता सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

न्यायालय सिविल जज, (कनिष्ठ श्रेणी), शिकोहाबाद, फिरोजाबाद का वर्ष 2020 के लिये जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा कृत वार्षिक निरीक्षण टिप्पणी।

मेरे द्वारा दिनांक 06-03-2021 को सिविल जज, (कनिष्ठ श्रेणी), शिकोहाबाद, फिरोजाबाद के न्यायालय एवं कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया।

इसके पूर्व इस न्यायालय का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 02-03-2020 को किया गया था। उक्त निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन दिनांक 17-03-2020 को किया जा चुका है।

माननीय उच्च न्यायालय के **परिपत्र संख्या 102 एच दिनांकित 19 सितम्बर 1978** में दिये गये दिशा निर्देशानुसार निरीक्षण टिप्पणी निम्नवत् अंकित की जाती है।

व्यवहार शाखा

1.- **पीठासीन अधिकारी**

इस न्यायालय मे पीठासीन अधिकारी के रूप में सुश्री विनीता सिंह दिनांक 01-01-2020 से कार्यरत है।

2.- **त्रैमासिक निरीक्षण**

माह मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले त्रैमास का प्रथम त्रैमासिक निरीक्षण दिनांक 20-03-2020 को पीठासीन अधिकारी सुश्री विनीता सिंह द्वारा किया गया है एवं वाद अनुपालन यह निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 22-07-2020 को जिला जज के कार्यालय में प्रेषित की गयी है। माह जून, 2020 को समाप्त होने वाले त्रैमास का द्वितीय त्रैमासिक निरीक्षण दिनांक 26-06-2020 को पीठासीन अधिकारी सुश्री विनीता सिंह द्वारा किया गया है एवं वाद अनुपालन यह निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 14-08-2020 को जिला जज के कार्यालय में प्रेषित की गयी है। माह सितम्बर, 2020 को समाप्त होने वाले त्रैमास का तृतीय त्रैमासिक निरीक्षण दिनांक 19-09-2020 को पीठासीन अधिकारी सुश्री विनीता सिंह द्वारा किया गया है एवं वाद अनुपालन यह निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 23-11-2020 को जिला जज के कार्यालय में प्रेषित की गयी है। माह दिसम्बर, 2020 को समाप्त होने वाले त्रैमास का चतुर्थ त्रैमासिक निरीक्षण दिनांक 15-12-2020 को पीठासीन अधिकारी सुश्री विनीता सिंह द्वारा किया गया है एवं वाद अनुपालन यह निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 15-02-2021 को जिला जज के कार्यालय में प्रेषित की गयी है। **अतः सम्बंधित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह निरीक्षण अनुपालन आख्या समय से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।**

3.- मेरे द्वारा निरीक्षण टिप्पणियों का अवलोकन किया गया और पाया कि यह निरीक्षण टिप्पणियां माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हैं। यह निरीक्षण टिप्पणियां व्यावहारिक, प्रयोगात्मक एवं प्रभावकारी हैं। **पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह पत्रावलियां एवं पंजिकाओं के रख-रखाव एवं आदेशों के अनुपालन को विशेष रूप से देखा करें।**

Sir, noted for compliance
F.p.o

4.- कार्यरत कर्मचारीगण

कमांक	नाम कर्मचारीगण	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	श्री श्याम सुन्दर	पेशकार	05-01-2021
2	श्री मुनेश कुमार	वाद लिपिक	16-01-2021
3	श्री विनीत कुमार	इजराय/प्रकीर्ण लिपिक	04-01-2021
4	श्री शुभम शुक्ला	अर्दली	26-11-2019

इस न्यायालय में नियुक्त कर्मचारीगण की संख्या पर्याप्त है। प्रत्येक कर्मचारी अपने अपने पदानुसार कार्य सम्पादित करते है।

5.- न्यायालय भवन

यह न्यायालय मुख्य भवन के भू-तल पर स्थित है। इस न्यायालय से सम्बन्धित कार्यालय भी मुख्य न्याय भवन के भू-तल पर स्थापित है। न्यायालय/कार्यालय कक्ष में कार्य हेतु पर्याप्त स्थान है तथा हवा व रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है।

6.- न्यायालय एवं कार्यालय में उपलब्ध उपस्कर सही स्थिति में है एवं पर्याप्त मात्रा में है।

7.- निरीक्षण वर्ष 2020 में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को मु0 1,00,000/- तक मूल्यांकन के मूलवादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा मु0 25,000/-तक मूल्यांकन के खफीफा वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

8.- साप्ताहिक वादों की सूची

न्यायालय कक्ष के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर दैनिक कॉजलिस्ट नियम-16 सामान्य नियम व्यवहार के अनुपालन में दिनांक 01-03-2021 से दिनांक 06-03-2021 तक चस्पा पायी गयी है। उपलब्ध साप्ताहिक सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूची के शीर्ष पर उसी सप्ताह के लिए स्थगित मुकदमों को अंकित करने की जगह नहीं छोड़ी गयी है। **प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 31 दिनांक 07-03-1952 के अनुसार भविष्य में कॉज लिस्ट लगाया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें सर्वप्रथम आंशिक रूप से सुने गये वाद फिर स्थगित वाद** तथा अंत में नये वादों की प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

9.- वादों की लम्बन स्थिति

दिनांक 01-01-2020 को 3769 एवं दिनांक 01-01-2021 को 3686 वाद लम्बित थें। लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों की तुलनात्मक स्थिति इस निरीक्षण टिप्पणी के संलग्नक प्रोफार्मा संख्या 02 में दर्शायी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि लम्बन स्थिति में जो कमी हुई है वह मुकदमों के अन्य न्यायालयों में स्थानान्तरण होने से बताया गया है।

दस पुराने वादों का क्रमांक व उनके संस्थित दिनांक टिप्पणी के संलग्नक संख्या 2अ में दर्शाये गये है, जिसके परिशीलन से विदित होता है कि न्यायालय में विभिन्न श्रेणी के सर्वाधिक पुराने वाद मूलवाद संख्या 206/1990, जे0एस0सी0सी0 सं0 11/1992 प्रकीर्ण वाद सं0 23/2009, निष्पादन वाद सं0 26/1991, खफीफा निष्पादन वाद सं0 02/2010, उत्तराधिकार वाद सं0 10/2016 है।

पीठासीन अधिकारी का ध्यान पुराने वादों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 09 दिनांक 29-02-1996 परिपत्र संख्या 33/1998 दिनांकित 20-03-1998 परिपत्र संख्या 47/2000 दिनांकित 20-10-2000, संख्या-18बी प्रशासकीय दिनांकित 21-04-2000, परिपत्र संख्या 46/3 दिनांकित 20-12-2003 एवं 11242 /एडमिन. ई-।। दिनांक 16-09-2017 की ओर आकृष्ट करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह पुराने वादों का निस्तारण, विशेष रूचि लेकर शीघ्रातिशीघ्र करना सुनिश्चित करें। पीठासीन अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय में लम्बित सर्वाधिक पुराने वादों में से अधिक से अधिक वादों को लक्ष्य बनाकर प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई किया जाकर प्रत्येक माह उनका त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चिति करें।

10.अ,ब- <u>पूर्ण परीक्षण के उपरान्त निस्तारित वाद</u>

प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि संलग्न प्रपत्र संख्या-02बी में पीठासीन अधिकारी द्वारा निरीक्षणाधीन वर्ष में समय-समय पर किये गये समस्त ऐसे वादों की वर्ष वार सूची दर्शायी गयी हैं, जिन्हें पूर्ण परीक्षण के उपरान्त निस्तारित नहीं किया गया है। बल्कि 04 वाद अन्यथा के रूप में निस्तारित किये गये है।

10.स,द- <u>एक पक्षीय रूप से एवं अन्यथा रूप से निस्तारित वाद</u>

मुंसरिम द्वारा बताया गया कि निरीक्षण वर्ष 2020 में पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्यथा रूप से कुल मिलाकर 4 वादों का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार सविरोध निर्णीत मूलवादों का प्रतिशत 16.67 रहा है।

11.ए- न्यायालय में कार्यरत प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन वादों की सुनवाई हेतु नियत वादों और उनमें कृत कार्य के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता द्वारा डायरी अनुरक्षित की गयी है, जिनका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया जो निम्नवत् है-

<u>पीठासीन अधिकारी की दैनिक वाद पंजिका</u>

सामान्य नियमावली दीवानी के अध्याय-14 नियम-401 उपनियम-04 में पीठासीन अधिकारी की डायरी का प्रावधान हैं। निरीक्षण वर्ष में पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग अलग सिविल व फौजदारी की डायरियां बनायी गयी हैं। मैंने पीठासीन अधिकारी की सिविल मुकदमों से सम्बन्धित डायरी का अवलोकन किया तो पाया कि डायरी में शीर्षक व लेबिल नियमानुसार चस्पा हैं। डायरियों में वादों को किस प्रयोजन हेतु नियत किया गया है, उनमें क्या कार्य किया गया है एवं अग्रिम नियत दिनांक अंकित किये गये हैं। निरीक्षण वर्ष

मे सिविल की डायरी दिनांक 15-10-2020 से अनुरक्षित की गयी है। डायरियों में कॉलम संख्या 02 अ,ब,स में प्रवृष्टियां नहीं की गयी है एवं डायरियो में वादों को अग्रिम नियत तिथियों में अग्रसारित किया गया हैं। पीठासीन अधिकारी की डायरियां स्वहस्तलेख में नहीं है। **पीठासीन अधिकारी का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-189 आठ-बी-121 दिनांकित 25-11-1976, संशोधित प्रपत्र संख्या 6/आठ-बी-121 दिनांकित 07-01-1977, परिपत्र सं0 46/आठ-बी-121 एडमिन.(जी) (8) दिनांक 20-07-1983 व प्रपत्र संख्या 40 दिनांकित 12-10-2004 की ओर आकृष्ट करते हुये सुझाव दिया जाता है कि वह इस स्तम्भों में प्रवृष्टियां अंकित किया करें ताकि पक्षकारों द्वारा लिये गये पूर्व स्थगनों की संख्या का ज्ञान उन्हें रहें और इन्ही स्थगनों की संख्या के आधार पर वह विचार कर स्थगन प्रार्थना पत्रों पर आदेश पारित कर सकें।** लिपिक द्वारा बताया गया कि जनवरी, 2021 मे फौजदारी की पत्रावलियां अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित की जा चुकी है।

Sd, Noted for Compliance
P.O

मेरे द्वारा प्रस्तुतकर्ता द्वारा अनुरक्षित डायरियों का अवलोकन किया गया जो **अध्याय-01 नियम-18ए सामान्य नियम व्यवहार एवं माननीय उच्च न्यायालय परिपत्र संख्या 78/आठ-बी-121 दिनांक 06-11-1973** के अन्तर्गत सिविल डायरी अनुरक्षित की जा रही है। यह डायरी दिनांक 27-11-2019 से अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका में लेबिल व हेडिंग यथा है। इस पंजिका का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया तो पाया कि इसमें वादों का उद्देश्य तथा आगामी नियत तिथियां अंकित की गयी हैं। इस पंजिका मे रीडर द्वारा मुकदमों में कृत कार्यवाही की अधिकांश प्रविष्टि अंकित की गयी हैं। इस पंजिका में अधिवक्ता के नाम के कॉलम में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। **न्यायालय में कार्यरत रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका में सभी अंकनायें स्तम्भानुसार अंकित किया करें।**

मेरे द्वारा दिनांक 02-11-2020 से दिनांक 07-11-2020 तक पीठासीन अधिकारी की सिविल एवं फौजदारी डायरियो में अंकित वादों एवं उक्त तिथियों में प्रस्तुतकर्ता की डायरियों में अंकित वादों का मिलान किया गया तो पाया कि पीठासीन अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता की डायरियों में प्रविष्टियां समान रूप से अंकित है।

मेरे द्वारा पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 02-11-2020 से दिनांक 07-11-2020 तक नियत किये गये सिविल वादों और उनमें कृत कार्य का अवलोकन किया गया जो निम्नवत् है-

<u>दिनांक 02-11-2020 (सोमवार)</u>

प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि इस तिथि को पीठासीन अधिकारी द्वारा कुल 31 विभिन्न प्रकार के दीवानी वाद नियत किये गये थे, जिसमें मूलवाद संख्या-162/2013, शंकरलाल बनाम राजकुमार आदि, मूलवाद संख्या-288/2014, अर्जुन सिंह आदि बनाम प्रेमवीर सिंह आदि में वाद बिन्दु निस्तारण किये गये है, मूलवाद सं0-479/2015, भोले सिंह बनाम विद्याराम एवं मूलवाद संख्या- 1008/2017, सतेन्द्र सिंह बनाम राम सिंह आदि में संशोधन प्रार्थना पत्र निस्तारण किये गये है। कोविड-19 के कारण अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं इस कारण अग्रिम तिथियां नियत की गयी।

<u>दिनांक 03-11-2020 (मंगलवार)</u>

प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि इस तिथि को पीठासीन अधिकारी द्वारा कुल 27 विभिन्न प्रकार के दीवानी वाद विभिन्न कार्यवाही हेतु नियत किये गये थे। इस दिनांक को चुनाव अवकाश होने के कारण न्यायालय बन्द रहा।

<u>दिनांक 04-11-2020 (बुधवार)</u>

प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि इस तिथि को पीठासीन अधिकारी द्वारा कुल 27 विभिन्न प्रकार के दीवानी वाद विभिन्न कार्यवाही हेतु नियत किये गये थे। मूलवाद संख्या- 745/2015, मोहन देवी बनाम चरन देवी, मूलवाद संख्या-16/2017, प्रदीप कुमार बनाम ओमप्रभा आदि में वाद बिन्दु निस्तारण किये गये है, कोविड-19 के कारण अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं इस कारण अग्रिम तिथियां नियत की गयी।

<u>दिनांक 05-11-2020 (गुरूवार)</u>

प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि इस तिथि को पीठासीन अधिकारी द्वारा कुल 26 विभिन्न प्रकार के दीवानी वाद विभिन्न कार्य हेतु नियत किये गये थे। मूलवाद संख्या- 514/2013, श्रीकृष्ण बनाम अनिल, मूलवाद संख्या-863/2017, प्रमोद बनाम राजकुमार में वाद बिन्दु निस्तारण किये गये है, मूल वाद संख्या-531/2015, विद्याराम बनाम राजू में संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया गया है। कोविड-19 के कारण अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है इस कारण अग्रिम तिथियां नियत की गयी।

<u>दिनांक 06-11-2020 (शुक्रवार)</u>

प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि इस तिथि को पीठासीन अधिकारी द्वारा कुल 27 विभिन्न प्रकार के दीवानी वाद कार्य हेतु नियत किये गये थे, कोविड-19 के कारण अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं इस कारण अग्रिम तिथियां नियत की गयी।

<u>दिनांक 07-11-2020 (शनिवार)</u>

प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि इस तिथि को पीठासीन अधिकारी द्वारा कुल 10 विभिन्न प्रकार के दीवानी वाद नियत किये गये थे। जिसमें मूल वाद संख्या-550/2017, गंगा सिंह बनाम शेर सिंह में वाद बिन्दु निस्तारण किया गया है। कोविड-19 के कारण अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है इस कारण अग्रिम तिथियां नियत की गयी।

11.बी,सी- **पीठासीन अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि वह पुराने वादों को सबसे ऊपर डायरी में ऊपरी भाग में, मध्यवर्ती वाद मध्य में एवं नये वाद डायरी के अन्त में प्रविष्टि किया करें।**

Sd, noted for compliance by P.O.

✓11.डी- निरीक्षण वर्ष 2020 में पीठासीन अधिकारी की डायरी देखने से प्रतीत होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रर्याप्त कार्य नियत किया गया है तथा प्रर्याप्त कार्य करने का प्रयास किया गया है।

✓11.इ- मुंसरिम द्वारा बताया गया कि निरीक्षण वर्ष 2020 में पीठासीन अधिकारी द्वारा अनावश्यक स्थगन स्वीकार नहीं किये गये हैं। निरीक्षण वर्ष में किसी पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिन प्रतिदिन सुनवाई किये जाने का आदेश अनुपालन हेतु लम्बित नहीं है।

11.एफ- न्यायालय के प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि न्यायालय में उपस्थित साक्षीगण का साक्ष्य अंकित करने के उपरान्त ही सम्बन्धित पत्रावलियों में आगामी तिथियां नियत की जाती हैं।

11.जी- प्रपत्र संख्या-04 को देखने से विदित होता है कि है न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर कोई भी पूर्ण परीक्षण के उपरान्त पत्रावली निर्णीत नहीं की गयी है।

11.एच- प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों पर पर्याप्त कारण दर्शित करते हुये, विस्तृत आदेश पारित करके ही स्थगन स्वीकार किये गये हैं।

11.आई- न्यायालय के सम्बन्धित लिपिकगण द्वारा आज्ञाप्तियां, सामान्य नियमावली व्यवहार के नियम-98 के अनुसार तैयार की जाती हैं। इस निरीक्षण वर्ष में कोई भी वाद निर्णीत न होने के कारण किसी भी पत्रावली में डिकी नहीं बनाई गयी है।

11.जे- न्यायालय में कार्यरत प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि निरीक्षण वर्ष 2020 में पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिवक्ता के व्यक्तिगत आधार पर 5 या 6 मुकदमे एक सप्ताह में स्थगित किये जाते हैं। अनावश्यक रूप से समयाभाव में कोई मुकदमा स्थगित नहीं किया गया तथा अधिवक्ता के विरोध न करने पर लगभग 14 या 15 मुकदमें एक सप्ताह में स्थगित किये जाते थे।

11.के- न्यायालय के वाद लिपिक द्वारा बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों एवं आदेश-20 नियम-21 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं सामान्य नियम व्यवहार के नियम-98 के अनुरूप ही डिकी तैयार की जाती हैं।

12.- वाद लिपिक द्वारा बताया गया कि निरीक्षण वर्ष 2020 में वाद बिन्दु विरचित किये जाने से पूर्व आवश्यकतानुसार आदेश-10 नियम-02 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार पक्षकारों के साक्ष्य अंकित नहीं किये जाते है। इस सम्बन्ध में वाद लिपिक द्वारा बताया गया कि आदेश-10 नियम-02 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्ष्य अंकित नहीं किये गये हैं।

13.- वाद लिपिक द्वारा बताया गया कि निरीक्षणाधीन वर्ष 2020 में ऐसा कोई मामला न्यायालय में लम्बित नहीं रहा जिसमें अवयस्क की आयु 12 वर्ष से अधिक हो और नोटिस दिया जाना आपेक्षित हो।

14.अ- मेरे द्वारा न्यायालय में अध्याय-14 नियम-406 सामान्य नियम व्यवहार के अन्तर्गत अनुरक्षित किये जा रही परवाना अमीन पंजिका प्रारूप संख्या-106 का अवलोकन किया गया तो पाया कि यह पंजिका दिनांक 24-12-2018 से प्रयोग में लायी जा रही है। इसमें लेबिल चस्पा है, परन्तु शीर्षक व हैडिंग चस्पा नहीं है। उक्त पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि मूलवाद संख्या 684/2020, राम सिंह बनाम राम नाथ में दिनांक 04-03-2021 को परवाना अमीन को प्राप्त कराया गया है, जिसमें आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 24-03-2021 नियत की गयी है। वाद लिपिक द्वारा बताया गया कि तीन माह से अधिक अवधि से कोई वाद कमीशन आख्या दाखिल किये जाने हेतु लम्बित नहीं है।

14.ब- वाद लिपिक द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में कोई दीवानी वाद लम्बित नहीं है, जिसमें अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सर्वे कमीशन रिर्पोट का दाखिल किया जाना अपेक्षित हो।

14.स- वाद लिपिक द्वारा बताया गया कि न्यायालय अमीन को निरीक्षणाधीन वर्ष 2020 में कोई भी रिट बाबत सर्वे कमीशन हेतु जारी नहीं किया गया है और न ही कोई सर्वे कमीशन रिर्पोट न्यायालय अमीन के पास दाखिल किये जाने हेतु लम्बित है।

निष्पादन वाद

15.- निष्पादन लिपिक द्वारा बताया गया कि इस निरीक्षण वर्ष 2020 में इस न्यायालय में 3 सामान्य निष्पादन के वाद लम्बित हैं जो सभी छः माह से अधिक समय से विचाराधीन हैं।

16.- निरीक्षण वर्ष 2020 में कोई भी सामान्य निष्पादन वाद पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित नहीं किये गये हैं।

17.- नियम-163 सामान्य नियमावली व्यवहार के अनुसार किसी भी निष्पादन वाद में आदेशपत्र पीठासीन अधिकारी के हस्तलेख में न होने एवं न ही उनके द्वारा अग्रिम तिथियां नियत करने एवं आदेश पत्रों पर आदेश क्रमांक अंकित किये गये है। **अतः नियम 163 सामान्य नियमावली व्यवहार की ओर पीठासीन अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुये अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पादन वादों की पत्रावलियों में आदेश स्वहस्तलेख में किया करे एवं आदेश पत्रों में क्रमांक अंकित भी किया करें, जिससे कि पत्रावलियों की वर्तमान स्थिति का उन्हें ज्ञान रहें।**

Sir, Noted for compliance
P.O

18.- निष्पादन लिपिक द्वारा बताया गया कि निरीक्षण वर्ष 2020 में किसी प्रकरण में उदघोषणा व नीलामी की कार्यवाही निष्पादित नहीं की गयी है।

19.- निष्पादन लिपिक द्वारा बताया गया कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में परवाना कुर्की निर्धारित समय से जारी किये जाते रहे हैं तथा निरीक्षण वर्ष 2020 में ऐसा कोई मामला नहीं आया, जिसमें कुर्की व विक्री के सन्दर्भ में परवाना अमीन आदेश के तीन दिन के अन्दर जारी न किया गया हो।

20.- निष्पादन लिपिक द्वारा बताया गया कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा पैरवी

के लिये अधिकतम 07 दिन तक का समय प्रदान किया जाता है।

21.अ- इस न्यायालय मे निरीक्षण वर्ष 2020 में किसी भी मूलवाद की कार्यवाही व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अन्तर्गत स्थगित नहीं की गयी है।

ब.- वाद की कार्यवाही व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अन्तर्गत स्थगित करने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित वाद का पूर्ण विवरण व न्यायालय का नाम आदि प्रस्तुत किये जाते है, परन्तु निरीक्षण वर्ष में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।

स.- न्यायालय में धारा 10, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यदि कोई स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो न्यायालय जिसमें सम्बन्धित वाद लम्बित होता है को स्थगन आदेश की सूचना भेजी जाती है।

द. न्यायालय में यदि धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् स्थगन आदेश पारित होता है तो सम्बधित वाद जिस न्यायालय मे लम्बित है, की कार्यवाही की जानकारी की जाती है।

22.- विवरण पत्र संख्या-06 को देखने से विदित होता है कि इस न्यायालय में कुल 02 मूलवाद, 26 निष्पादन वाद एवं 01 खफीफा वाद की कार्यवाही अपीलीय न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत स्थगित है। माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित वादों के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय से पूछताछ की गयी है।

23.- मुंसरिम द्वारा बताया गया कि जिन मामलों में अन्य न्यायालयों से पत्रावली तलब की जाती है उन पत्रावलियों में कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। अभियाचन पंजिका को देखने से विदित होता है कि दीवानी के 29 वादों की पत्रावलियां अपीलीय न्यायालय के अभियाचन पर अपीलीय न्यायालय को प्रेषित की गयी हैं, परन्तु प्रेषित की जाने वाली पत्रावलियों के सत्यापन हेतु समय समय पर पूछताछ होना नहीं पाया गया है **सम्बन्धित लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है जो पत्रावलियां तीन माह के ऊपर की अवधि से अपीलीय न्यायालय में लम्बित है उनका सत्यापन नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।**

24.- न्यायालय के मुंसरिम द्वारा बताया गया कि माह दिसम्बर, 2020 तक की निर्णीत पत्रावलियों को अभिलेखागार में दाखिल किया जा चुका है। माह जनवरी, 2021 में निर्णीत पत्रावलियों को दाखिल अभिलेखागार किये जाने के सम्बन्ध में लिपिक द्वारा बताया गया कि समय से पत्रावलियों को दाखिल किया जा चुका है।

25.- मुंसरिम द्वारा बताया गया कि अधिकांश मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण प्रपत्र समय सीमा के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित किये गये हैं किन्तु कुछ मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक विवरण प्रपत्र कुछ विलम्ब से प्रेषित किये गये हैं। **मुंसरिम को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में सभी विवरण पत्र**

निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

26.- विवरण पत्र संख्या-07 को देखने से विदित होता है कि न्यायालय में निरीक्षण वर्ष 2020 में कुल 6 निरीक्षण प्रार्थना पत्र एवं 790 तलाश व सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं और उनसे क्रमशः 66/- व 2370/-की आय हुयी है जबकि विगत वर्ष में कुल 3 निरीक्षण प्रार्थना पत्र एवं 1258 तलाश व सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं और उनसे क्रमशः 33/- व 7548/-की आय हुयी है। न्यायालय में लम्बित मुकदमों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये निरीक्षण प्रार्थना पत्र एवं तलाश व सूचना प्रार्थना पत्रों की संख्या कम है। **अतः न्यायालय में कार्यरत मुंसरिम, पेशकार एवं लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-60/आठ-01 /प्रशासकीय-जी दिनांकित 30-11-1992 का अध्ययन कर इसका पालन करना सुनिश्चित करें तथा किसी भी पत्रावली का अनाधिकृत रूप से निरीक्षण न करावें तथा बिना प्रार्थना पत्र सूचना के कोई भी सूचना किसी को उपलब्ध न करायें।**

27.- न्यायालय के मुंसरिम द्वारा बताया गया कि कार्यालय में स्टाम्प निरीक्षक की कोई आख्या अनुपालन हेतु लम्बित नहीं है।

28.- मुंसरिम द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के समय इस कार्यालय में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालयों से पत्रावली मँगाये जाने हेतु कोई मांगपत्र अनुपालन हेतु लम्बित नहीं है। सम्बन्धित लिपिकगण द्वारा बताया गया कि प्रतिलिपि विभाग का कोई भी मांगपत्र निरीक्षण दिनांक को लम्बित नहीं है।

29.- मुंसरिम द्वारा बताया गया कि सामान्य नियम व्यवहार एवं सामान्य नियम दाण्डिक में प्राप्त सभी संशोधन स्लिप चस्पा की जा चुकी है।

30.- इस न्यायालय के मुंसरिम/प्रस्तुतकर्ता द्वारा निरीक्षणाधीन वर्ष में उनके द्वारा अर्द्धवार्षिक निरीक्षण नहीं किये गये है। **अतः मुंसरिम/प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रश्नोत्तरी के अनुरूप अर्द्धवार्षिक निरीक्षण बाबत षटमास दिसम्बर, 2020 सम्पादित करके निरीक्षण आख्या पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।**

31.- पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वह न्यायालय में कार्यरत कर्मचारीगण के हस्तलेख से सन्तुष्ट हैं।

32.- इस न्यायालय में आवंटित विधिक पुस्तकें पर्याप्त हैं एवं अच्छी हालत में हैं। न्यायालय में कार्यरत प्रस्तुतकर्ता द्वारा बताया गया कि पुस्तकों की पंजिका अनुरक्षित की जा रही है।

33.- न्यायालय में कार्यरत रीडर द्वारा बताया गया कि अविक्रीत फार्म पुस्तकालय अनुभाग में उपलब्ध रहते हैं। आवश्यकतानुसार उन्हें पुस्तकालय से मंगा लिया जाता है।

34.- मेरे द्वारा इस न्यायालय में लम्बित विभिन्न प्रकार की पत्रावलियों में से कुछ पत्रावलियों का अवलोकन किया गया जो निम्नवत है-

1.- **मेरे द्वारा मूलवाद सं0 510/2010, रामशंकर आदि बनाम बाबाराम** की पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह वाद दिनांक 02-11-2010 को इस न्यायालय में वास्ते निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली पर मुंसरिम रिर्पोट उसी दिनांक को अंकित की गयी है एवं उसी दिनांक को वाद को मूलवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है। पत्रावली वास्ते एक पक्षीय बहस हेतु दिनांक 23-04-2021 नियत की गयी है। पत्रावली में सभी कागजातों को नत्थियों के अनुसार अनुरक्षित किया गया है एवं प्रार्थनापत्रों आदि पर चस्पा कुछ न्याय शुल्क की टिकटों को निरस्त व पंच नहीं किया गया है। **न्यायालय में कार्यरत मुंसरिम, प्रस्तुतकर्ता एवं लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह सभी कागजातों को नत्थीयों के अनुसार अनुरक्षित करें एवं चस्पा न्यायशुल्क की टिकटों को रद्द व पंच करना एवं टिकटों की संख्या एवं उनका मूल्य लाल स्याही से अंकित करना सुनिश्चित करें।**

श्रीमान जी, अनुपालन हेतु नोट किया

2.- **मेरे द्वारा मूलवाद सं0 420/2009, राम नरेश बनाम श्रीमती फूलन देवी** की पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह वाद दिनांक 15-09-2009 को इस न्यायालय में वास्ते निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली पर मुंसरिम रिर्पोट उसी दिनांक को अंकित की गयी है एवं उसी दिनांक को वाद को मूलवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है। वाद बिन्दु दिनांक 13-05-2015 विचरित की गयी है।पत्रावली वास्ते एक पक्षीय बहस हेतु दिनांक 24-03-2021 नियत की गयी है। पत्रावली में सभी कागजातों को नत्थियों के अनुसार अनुरक्षित किया गया है एवं प्रार्थनापत्रों आदि पर चस्पा कुछ न्याय शुल्क की टिकटों को निरस्त व पंच नहीं किया गया है। **न्यायालय में कार्यरत मुंसरिम, प्रस्तुतकर्ता एवं लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह सभी कागजातों को नत्थीयों के अनुसार अनुरक्षित करें एवं चस्पा न्यायशुल्क की टिकटों को रद्द व पंच करना एवं टिकटों की संख्या एवं उनका मूल्य लाल स्याही से अंकित करना सुनिश्चित करें।**

श्रीमान जी, अनुपालन हेतु नोट किया

3.- **मेरें द्वारा खफीफा वाद सं0 11/2017, ट्रस्ट मौसूमा ठाकुर रामचन्द्रजी महाराज विराजमान मन्दिर बनाम श्रीमती चन्दा देवी आदि** की पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह वाद दिनांक 11-07-2017 को बेदखली एवं किराया वसूली हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली पर मुंसरिम रिर्पोट उसी दिनांक को अंकित की गयी है एवं इसी दिनांक को वाद को पंजीकृत करने का आदेश पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है। वर्तमान में यह पत्रावली वास्ते एक पक्षीय बहस हेतु दिनांक 30-03-2021 को नियत है। पत्रावली में सभी कागजातों को नत्थी के अनुसार अनुरक्षित नहीं किया गया है एवं प्रार्थनापत्रों आदि पर चस्पा कुछ न्याय शुल्क की टिकटों को निरस्त व पंच नहीं किया गया है एवं उनकी संख्या व मूल्य भी अंकित नहीं किया गया है। न्यायालय में कार्यरत मुंसरित, प्रस्तुतकर्ता एवं लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह सभी कागजातों को नत्थीयों के अनुसार अनुरक्षित करें एवं चस्पा न्याय शुल्क की टिकटों को रद्द व पंच करना एवं टिकटों की संख्या एवं उनका मूल्य अंकित करना सुनिश्चित करें।

अन्य टिप्पणियां

मेरे द्वारा न्यायालय के मुंसरिम, रीडर एवं कार्यालय लिपिक द्वारा अनुरक्षित

की जा रही निम्न पंजिकाओ एवं सुरक्षा पंजिकाओं का अवलोकन किया गया जो निम्नवत् है-

स्याहा रजिस्टर, प्रारूप संख्या-103

सामान्य नियमावली व्यवहार के अध्याय-14 नियम-408 के अन्तर्गत यह पंजिका मुंसरिम द्वारा अनुरक्षित की जा रही है। यह पंजिका दिनांक 22-06-2017 से प्रारम्भ की गयी है। इस पंजिका पर लेबिल व शीर्षक नियमानुसार चस्पा है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 04-03-2021 को मूलवाद संख्या 207/2021, महेश प्रभा बनाम राजाराम से सम्बन्धित है जिसे सतीश चन्द्र अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस पर मु0 23/-का न्याय शुल्क, 10/- तलवाना, प्राप्त होना अंकित किया गया है। इस पंजिका में कार्यालय में प्रतिदिन प्राप्त होने वाले मूलवादों, प्रकीर्ण वादों इजराय वादों व अन्य सभी प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त न्याय शुल्क का अंकन किया जाता है। इस पंजिका में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक व त्रैमासिक योग लगाया गया है लेकिन षट्मासिक एवं वार्षिक योग नहीं लगाये गये हैं। यह पंजिका निरीक्षण वर्ष में पीठासीन अधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी है। **न्यायालय के मुंसरिम को निर्देशित किया जाता है कि इस पंजिका में षटमासिक एवं वार्षिक योग को पूर्ण करें** एवं **यह भी निर्देशित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी के उपलब्ध होने पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया करें** एवं उनके हस्ताक्षर प्राप्त किया करें।

वाद वर्गीकरण पंजिका, प्रारूप संख्या-72

यह पंजिका सामान्य नियमावली व्यवहार के अध्याय-14 नियम-400 के अन्तर्गत मुंसरिम द्वारा अनुरक्षित की जा रही है। यह पंजिका दिनांक 01-01-2015 से प्रारम्भ की गयी है जिस पर लेबिल व हैडिंग नियमानुसार चस्पा है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 04-03-2021 पर मूलवाद संख्या 207/2021, महेश प्रभा बनाम राजाराम की है। यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दायर किया गया है। इस वाद का मूल्यांकन मु0 1,206/- है। यह पंजिका पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गयी है।

पुर्नभुगतान पंजिका, प्रारूप संख्या-37

यह पंजिका सामान्य नियमावली व्यवहार के अध्याय-11 नियम-280 एवं सामान्य पत्र संख्या 16/44-07 (1) दिनांक 17-03-1937 के अन्तर्गत सादा कागज पर लाइन खींचकर दिनांक 27-05-1991 से अनुरक्षित की जा रही है जिस पर लेबिल व हैडिंग नियमानुसार चस्पा है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 30-04-2019 को जर वापसी प्रार्थना पत्र संख्या 01/2019 की प्रकीर्ण वाद संख्या 2208/2018, नूतन अग्रवाल बनाम दीपक अग्रवाल के सम्बन्ध में अंकित की गयी है। इस जर वापसी प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रतिसंदाय आदेश तैयार कर दिनांक 01-08-2019 को सम्बन्धित पक्षकार को प्राप्त करा दिया गया है। निरीक्षण वर्ष में इस पंजिका किसी भी प्रविष्टि दर्ज नहीं है।

मूलवाद पंजिका, प्रारूप संख्या-03

यह पंजिका सामान्य नियमावली व्यवहार के अध्याय-14 नियम-400 के अन्तर्गत मुंसरिम द्वारा अनुरक्षित की जा रही है। यह पंजिका सादा कागज पर लाइन

खींचकर दिनांक 25-03-2014 से प्रारम्भ की गयी है जिस पर लेबिल व शीर्षक चस्पा है। इस पंजिका मे अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 16-12-2020 को मूलवाद संख्या 696/2020, श्रीमती ऊषा देवी बनाम सुबोध कुमार की अंकित की गयी है। यह वाद निषेधाज्ञा हेतु दायर किया गया है जिसका मूल्यांकन 5,000/- है। न्यायालय द्वारा निर्णीत किये गये वादों मे पारित आदेशों के सरांश इस पंजिका में अंकित किये गये हैं एवं पंजिका में प्रविष्टियां स्तम्भानुसार नहीं की गयी हैं। **सम्बन्धित वाद लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पंजिका में स्तम्भानुसार सभी प्रविष्टियां किया जाना सुनिश्चित करें तथा वाद के अन्त में संलग्न नक्शा नजरी भी बनाया करें।**

मूलवाद फैसला पंजिका, प्रारूप संख्या-67

यह पंजिका सामान्य नियमावली व्यवहार के अध्याय-14 नियम-400 के अन्तर्गत अनुरक्षित की जा रही है। यह पंजिका सादा कागज पर लाइन खींचकर दिनांक 02-01-2015 से प्रारम्भ की गयी है जिस पर लेबिल व हैडिंग नियमानुसार चस्पा हैं। इस पंजिका में न्यायालय में निर्णीत होने वाले समस्त मूलवादों का इन्द्राज किया जाता है जिसमे निर्णय का दिनांक, मूलवाद संख्या, नाम पक्षकार, मूल्यांकन एवं दायरा का दिनांक भी अंकित किया जाता है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 05-02-2021 को मूलवाद संख्या 184/2008, राजेश बनाम ज्ञान सिंह की अंकित की गयी है। पंजिका में प्रविष्टियां स्तम्भानुसार नहीं की गयी है। **लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में सभी प्रविष्टियां स्तम्भानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।**

सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद पंजिका, प्रारूप संख्या-74

यह पंजिका सामान्य नियमावली व्यवहार के अध्याय-14 नियम-400 के अन्तर्गत अनुरक्षित की जा रही है। यह पंजिका सादा कागज पर लाइन खींचकर दिनांक 02-04-2019 से प्रारम्भ की गयी है जिस पर लेबिल व हैडिंग नियमानुसार चस्पा हैं। इस पंजिका में न्यायालय में प्राप्त ऐसे प्रकीर्ण वाद पंजीकृत किये जाते है जो अन्य वादों से सम्बन्धित होते है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 22-02-2021 को प्रकीर्ण वाद संख्या 43/2021, अशोक बनाम सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति आदि की है। लिपिक द्वारा निर्णीत प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियां तथा उनमें पारित आदेशों का सारांश लाल स्याही से अंकित किया गया है। इस पंजिका में प्रविष्टिया स्तम्भानुसार अंकित नहीं की गयी हैं। **सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका में प्रविष्टियां स्तम्भानुसार किया करें एवं इस पंजिका को प्रत्येक माह पीठासीन अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किया करें।**

श्रीमान जी अनुपालन हेतु पेश किया

सामान्य निष्पादन पंजिका, प्रारूप संख्या-68

यह पंजिका सामान्य नियमावली व्यवहार के अध्याय-14 नियम-400 के अन्तर्गत अनुरक्षित की जा रही है। यह पंजिका सादा कागज पर लाइन खींचकर दिनांक 01-01-2010 से प्रारम्भ की गयी है जिस पर लेबिल व हैडिंग नियमानुसार चस्पा हैं। इस पंजिका में न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले सामान्य निष्पादन प्रार्थना पत्र दर्ज किये जाते हैं। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 11-09-2020 को निष्पादन वाद संख्या 4/2020, बाबू राम बनाम कैलाश चन्द्र की है। इस पंजिका में प्रविष्टियां स्तम्भानुसार अंकित नहीं की

गयी हैं। **सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका में प्रविष्टियां स्तम्भानुसार अंकित किया करें।**

<u>साक्षियों के बयान से प्राप्त धनराशि की पंजिका-</u>

यह पंजिका दिनांक 05-09-2018 से प्रारम्भ की गयी है। यह पंजिका लाइनदार रजिस्टर पर लाइनें खींचकर तैयार की गयी है। इस पंजिका में अंतिम प्रविष्टि दिनांक 14-01-2020 को मूलवाद संख्या 348/2007, श्रीमती सुखदेवी बनाम जयराम की अंकित की गयी है, जिसमें साक्षी डी0 डब्लू0 02 का साक्ष्य एक पृष्ठ अंकित किया गया है तथा साक्ष्य की प्रति से प्राप्त धनराशि मु0 20/-उसी दिन नजारत में रोकड़ियां को प्राप्त करा दी गयी है। इस निरीक्षण वर्ष कोई बयान अंकित नहीं किया गया है। यह पंजिका पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी है। इस पंजिका में दैनिक योग किये गये है, परन्तु साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, षटमासिक व वार्षिक योग नहीं लगाये गये है। **प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका में साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, षटमासिक व वार्षिक योग पूर्ण करें।**

<u>गैर प्रकीर्ण वादों की पंजिका, प्रारूप संख्या-70</u>

यह पंजिका सामान्य नियमावली व्यवहार के अध्याय-14 नियम-400 के अन्तर्गत अनुरक्षित की जा रही है। यह पंजिका सादा कागज पर लाइन खींचकर दिनांक 01-09-2019 से प्रारम्भ की गयी है, जिस पर लेबिल चस्पा है परन्तु हैडिंग चस्पा नहीं हैं। इस पंजिका में न्यायालय में प्राप्त ऐसे प्रकीर्ण वाद पंजीकृत किये जाते है, जो अन्य वादों से सम्बन्धित होते है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 08-02-2021 को प्रकीर्ण वाद संख्या 30/2021, बबलू बनाम श्रीमती रामकली की है। इस पंजिका में प्रविष्टिया स्तम्भानुसार अंकित नहीं की गयी हैं। **सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका में प्रविष्टियां स्तम्भानुसार किया करें एवं पंजिका में हैडिंग चस्पा करना सुनिश्चित करें।**

न्यायालय के मुंसरिम, रीडर व लिपिकगण द्वारा पूछने पर यह बताया गया कि इस न्यायालय में वर्तमान में फीडिंग हेतु कोई पत्रावली शेष नहीं है न कोई पत्रावली अनडेटेड है। **न्यायालय के मुंसरिम, रीडर व लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह पत्रावलियों की फीडिंग एवं अग्रिम नियत तिथियां फीड करने में विशेष ध्यान रखेंगे।**

<u>सुरक्षा पंजिका:-</u>

इस न्यायालय में 04 सुरक्षा पंजिकायें अनुरक्षित की जा रही है जिनमें एक में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्रों का संग्रह किया जाता है। दूसरी पंजिका माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशों से सम्बन्धित है, जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशों का संग्रह किया जाता है। तीसरी पंजिका मुख्य न्यायिक मजि0 के आदेशों से सम्बन्धित सम्बन्धित है, जिसमें मुख्य न्यायिक मजि0 द्वारा जारी आदेशों का संग्रह किया जाता है। चतुर्थ पंजिका लोक अदालत के आदेशों से सम्बन्धित है, जिसमें नोडल अधिकारी एवं सचिव लोक अदालत द्वारा जारी आदेशों का संग्रह किया जाता है। इन

सभी गार्ड फायलों में लेबिल लगा हुआ है एवं सूची पत्र बनाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्बन्धित सुरक्षा पंजिका को अनुरक्षित नहीं किया गया है। **न्यायालय में कार्यरत मुंसरीम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्बन्धित सुरक्षा पंजिका एवं शासनादेश से सम्बन्धित पंजिका अनुरक्षित करना तथा सूची पत्र बनाकर क्रमबद्ध करना सुनिश्चित करें।**

इस न्यायालय में अनुरक्षित की जा रही अन्य पंजिकाओं का भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें अन्य किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

Sanjeev Fauzdar 6-3-2021

दि0 06-03-2021

(संजीव फौजदार)
जनपद न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

इस निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के उपरान्त इस निरीक्षण टिप्पणी को अनुपालन आख्या सहित प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित किया जाये। तदुपरान्त इस निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति अनुपालन आख्या सहित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित की जाये।

Sanjeev Fauzdar 6-03-2021

दि0 06-03-2021

(संजीव फौजदार)
जनपद न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

ANNEXURE - 2

प्रेषक:- विनीता सिंह
सिविल जज (जू०डि०)
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

सेवा में,
माननीय जनपद न्यायाधीश
फिरोजाबाद

महोदय,

सविनय निवेदन है कि शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांकित 10-03-2021 के सम्बन्ध में मा० महोदय के द्वारा आख्या मांगी गई है जिसके सम्बन्ध में मा० महोदय को सादर अवगत कराना है कि उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र (पत्रावली से ऑर्डरशीट गायब होने के सम्बन्ध में) लिपिक श्री मुनेश कुमार के द्वारा दिनांक 06-04-2021 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। (स्टाफ की लापरवाह व मनमानी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पूर्व में भी मा० महोदय को अवगत कराया जा चुका है)। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र पर न्यायालय में कार्यरत पेशकार श्री श्यामसुन्दर व लिपिकगण श्री मुनेश कुमार व श्री विनीत कुमार से आख्या मांगी गई। पेशकार व लिपिकगण के द्वारा दी गई आख्या इस पत्र के साथ संलग्न है। महोदय, उक्त के सम्बन्ध में (पत्रावली से ऑर्डरशीट गायब होने के सम्बन्ध में) शिकायतकर्ता द्वारा मेरे समक्ष कोई मौखिक शिकायत नहीं की गई थी।

आख्या मा० महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक:-09-04-2021.

संलग्न:
1) पेशकार व लिपिकगण की आख्या की मूलप्रति।

भवदीया,
(विनीता सिंह)
सिविल जज (जू०डि०)
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

ANNEXURE - 3(i)

प्रेषक :-
विनीता सिंह
सिविल जज (जू० डि०)
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

सेवा में,
माननीय जनपद न्यायाधीश
फिरोजाबाद

विषय :- माननीय महोदय के अनुशासनात्मक पत्र सं० :- 09/2021 दिनांकित 05-01-2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि माननीय महोदय के अनुशासनात्मक पत्र दिनांकित 05-01-2021 के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है जो कि निम्नवत है :-

1) महोदय, दिनांक 04-01-2021 को अपराह्न 12:10 बजे व 05-01-2021 को अपराह्न 12:30 बजे व 02:10 बजे के पूर्व ही अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उक्त तिथियों पर नियत पत्रावलियों की सुनवाई की जा चुकी थी व कोई पत्रावली सुनवाई हेतु उपरोक्त समय पर न्यायालय में शेष नहीं थी।

2) महोदय, अधोहस्ताक्षरी की पैरेन्ट कोर्ट होने के नाते कार्य की अधिकता रहती है व अधोहस्ताक्षरी को स्टेनो की भी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है (जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा मा० महोदय को लगातार अवगत कराया जाता रहा है) जिस कारण से पत्रावलियों में आदेश आदि से सम्बन्धित कार्य अधोहस्ताक्षरी को हाथ से लिखने रहते हैं। महोदय, उपरोक्त तिथियों व समय पर, अधोहस्ताक्षरी चेम्बर में पत्रावलियों को पढ़ने व आदेश आदि से सम्बन्धित कार्य कर रही थी।

3) महोदय, अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी मेहनत, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा व कर्मठता से किया जाता रहा है और किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णरूप से गंभीर व सजग है जिस कारण से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा समय से डायस पर बैठकर न्यायिक कार्य किया जाता रहा है और किया जा रहा है।

11/1/21

5) महोदय, अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णरूप से गंभीर व सजग होने के नाते अधोहस्ताक्षरी के द्वारा मा० महोदय को लगातार स्टाफ से सम्बन्धित

समस्याओं से अवगत कराया जाता रहा है चाहे वह न्यायालय में कार्यरत स्टाफ के द्वारा पीठासीन अधिकारी (अधोहस्ताक्षरी) को कार्य करने में सहयोग न करना हो अथवा न्यायालय में कार्यरत रहे पेशकार श्री संजीव मिश्रा के द्वारा अधोहस्ताक्षरी (महिला न्यायिक अधिकारी) की फोटो खींचना व वीडियो बनाना, आरोपित करना, धमकाना, अभद्र व्यवहार करना व न्यायालय का कार्य करने में बाधा उत्पन्न करना जैसे गंभीर कृत्य किए जाने पर अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराना रहा हो।

6) महोदय, वादकारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अधोहस्ताक्षरी के द्वारा ऐसे आरोपपूर्ण माहौल में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी मेहनत, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, तन्मयता व कर्मठता से किया जाता रहा है और किया जा रहा है।

7) महोदय, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के कारण ही, कि न्यायालय का कार्य सुचारु रूप से हो सके, अधोहस्ताक्षरी के द्वारा न्यायालय का कार्य करने में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में मा० महोदय को लगातार अवगत कराया जाता रहा है तथा मा० महोदय से सहयोग प्रदान करने का निवेदन व प्रार्थना अधोहस्ताक्षरी के द्वारा की जाती रही है।

8) महोदय, चूँकि वर्तमान समय में पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है एवं भीड़ इकट्ठी होने की दशा में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाना स्वाभाविक है जो जानलेवा साबित हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी कोविड-19 के सम्बन्ध में दिए गये दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक:- 08-01-2021

भवदीया,
V Singh 08/01/2021
(विनीता सिंह)
सिविल जज (जू०डि०)
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

ANNEXURE - 3(ii)

प्रेषक :-
विनीता सिंह
सिविल जज (जू०डि०)
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

सेवा में,
माननीय जनपद न्यायाधीश
फिरोजाबाद

विषय :- माननीय महोदय के अर्द्धशासकीय पत्र सं० :- 17/2021 दिनांकित 06-01-2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि माननीय महोदय के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांकित 06-01-2021 के द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया है जो निम्नवत है :-

1) महोदय, दिनांक 04-01-2021 को अपराह्न 12:10 बजे व दिनांक 05-01-2021 को अपराह्न 12:30 बजे व 02:10 बजे के पूर्व ही अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उक्त तिथियों पर नियत पत्रावलियों की सुनवाई की जा चुकी थी व कोई पत्रावली सुनवाई हेतु उपरोक्त समय पर न्यायालय मे शेष नहीं थी। दिनांक 06-01-2021 को अपराह्न 02:15 बजे अधोहस्ताक्षरी वॉशरूम गई थी।

2) महोदय, अधोहस्ताक्षरी की पेरेंट कोर्ट होने के नाते कार्य की अधिकता रहती है व अधोहस्ताक्षरी को स्टेनो की भी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है जिसके सम्बन्ध मे अधोहस्ताक्षरी के द्वारा मा० महोदय को लगातार अवगत कराया जाता रहा है। जिस कारण से पत्रावलियों मे आदेश आदि से सम्बन्धित कार्य अधोहस्ताक्षरी को हाथ से लिखने रहते हैं। महोदय, दिनांक 04-01-2021 व दिनांक 05-01-2021 को अतिरिक्त समय पर अधोहस्ताक्षरी चेम्बर मे पत्रावलियों को पढ़ने व आदेश आदि से सम्बन्धित कार्य कर रही थी।

3) महोदय, अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाहन पूरी मेहनत, ईमानदारी, समयनिष्ठा व कर्मठता से किया जाता रहा है और किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णरूप से गंभीर व सजग है जिस कारण से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा समय से डॉयस पर बैठकर न्यायिक कार्य किया जाता रहा है और किया जा रहा है।

5) महोदय, अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णरूप से गंभीर व सजग होने के नाते अधोहस्ताक्षरी के द्वारा मा० महोदय को लगातार स्टाफ से सम्बन्धित समस्याओं से अवगत कराया जाता रहा है चाहे वह न्यायालय में कार्यरत स्टाफ के द्वारा पीठासीन अधिकारी (अधोहस्ताक्षरी) को कार्य करने में सहयोग न करना हो अथवा न्यायालय में कार्यरत रहे पेशकार श्री संजीव मिश्रा के द्वारा अधोहस्ताक्षरी (महिला न्यायिक अधिकारी) की फोटो खींचना व वीडियो बनाना, आपत्तिजनक कार्य, धमकाना, अभद्र व्यवहार करना व न्यायालय का कार्य करने में बाधा उत्पन्न करना जैसे गंभीर कृत्य किए जाने पर अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराना रहा हो।

6) महोदय, वादकारियों के हितों को सर्वोपरी रखते हुए अधोहस्ताक्षरी के द्वारा ऐसे असहयोगपूर्ण माहौल में भी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन पूरी मेहनत, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, तन्मयता व कर्मठता से किया जाता रहा है और किया जा रहा है।

7) महोदय, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के कारण ही, कि न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से हो सके, अधोहस्ताक्षरी के द्वारा न्यायालय का कार्य करने में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में मा० महोदय को लगातार अवगत कराया जाता रहा है व मा० महोदय से सहयोग प्रदान करने का निवेदन व प्रार्थना अधोहस्ताक्षरी के द्वारा की जाती रही है।

8) महोदय, चूंकि वर्तमान समय में पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है एवं भीड़ इकट्ठी होने की दशा में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाना स्वाभाविक है जो जानलेवा साबित हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी कोविड-19 के सम्बन्ध में दिए गये दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक :- 08-01-2021

भवदीया
V. Singh 08/01/2021
(विनीता सिंह)
सिविल जज (जू०डि०)
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद